न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज कांसोटिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट

प्रकरण संख्या– 40 / 2008 (राजस्व) दायर दिनाक :– 24.06.2008

जी.सी.एम.एस.– 2008 / 00001 निर्णय दिनाक :– 30.12.2022

अनवान

1– श्री मानसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी खुमानपुर तहसील गलियाकोट जिला डूँगरपुर, राज0

(वादी)

बनाम

1– श्री ईश्वरसिंह पिता भेरा जाति हजुरी निवासी खुमानपुर तहसील गलियाकोट जिला डूँगरपुर, राज0

2– श्री शिवसिंह पिता भेरा जाति हजुरी निवासी खुमानपुर तहसील गलियाकोट जिला डूँगरपुर, राज0

3– श्री शंकरसिंह पिता भेरा जाति हजुरी निवासी खुमानपुर तहसील गलियाकोट

4– श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब गलियाकोट जिला डूँगरपुर, राज0

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी– निखिल सोमपुरा
वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2 – एक पक्षीय
वकील प्रतिवादी संख्या 3 – शैलेन्द्र भण्डारी
वकील प्रतिवादी संख्या 4 – पेरोकार सरकार

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीए

::निर्णय::

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खुमाणपुर तहसील गलियाकोट में स्थित है, जिसके मध्य में बिलानाम आराजी नम्बर 1152 / 445 रकबा 1 बीघा पर प्रार्थी एवं उसके पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजी के पश्चिम में वादी के खाते की आराजी नम्बर 483 व 484 एवं पूर्व में आराजी नम्बर 1198 / 445 रकबा 12 बिस्वा स्थित है। विपक्षीगण को आवंटित आराजी नम्बर 1152 / 445 रकबा 1 बीघा पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा एवं शुरू से ही उक्त भूमि वादी प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे चली आरही है तथा 1966 से प्रार्थी का मकान बना हुआ है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य यह तय हुआ की विपक्षीगण अपने खाते की आराजी 1152 / 445 प्रार्थी को विक्रय कर दे तथा प्रार्थी सदभावना से विपक्षीगण को उसके खाते के आराजी नम्बर 1152 / 445 के बदले में अपने खाते की आराजी नम्बर 253 एवं 255 रकबा 15 बिस्वा विक्रय कर दे। विपक्षी संख्या 3 कूवैत में होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 ही विक्रय भूमि विक्रय कर सकते है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 व 2 ने आराजी नम्बर 1152 / 445 रकबा 1 बीघा भूमि में से 13 बिस्वा भूमि दिनांक 08.09.2000 को 6000 / – रूपये में विक्रय कर दिया तथा इसकी एवंज में प्रार्थी ने अपने खाते के आराजी नम्बर 253 रकबा 8 बिस्वा एवं 255 की 19 बिस्वा भूमि में से 7 बिस्वा भूमि इस प्रकार कुल 15 बिस्वा भूमि दिनांक 08.09. 2000 को 7000 / – रूपये में विक्रय कर दी। प्रार्थी ओर विपक्षीगण के मध्य दिनांक 12.09.

2000 को लिखा पढी हुई, जिसके अनुसार विपक्षी ईश्वरसिंह ने आराजी नम्बर 1152/445 के सम्पूर्ण 1 बीघा भूमि को प्रार्थी के पक्ष में विक्रय करने का कथन किया है। विपक्षी संख्या 3 कूवैत में होने से उसके हिस्से की 7 बिस्वा भूमि का विक्रय नही हो सकता। विपक्षी संख्या 3 कूवैत से वापस आने पर गॉव वालो के बहकावें में आकर अपने हिस्से की 7 बिस्वा भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर उतारू है जिसे करने का उन्हे कोई अधिकार नही हैं। हाल जमाबन्दि संवत् 2063 से 2066 में विवादित आराजी नम्बर 1152/445 विपक्षी संख्या 1 से 3 खातें दर्ज हो गये है, जबकि उस प्रार्थी का कब्जा होकर करीब 40 पुराने सागवान, नीम व कजडियों के पेड लगे हूए है। विवादित भूमि के चारों तरफ 40–50 साल पुरानी थुअर की बाड लगी हुई है। आरजी के मध्य 7–8 फीड चौडा रास्ता गुजरता है इसलिए उक्त भूमि आवंटन योग्य नही है। आवंटित आराजी पर विपक्षीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा। विपक्षीगण के पक्ष में जो आवंटन हुआ है, वह अवैध होकर निरस्त योग्य है। इसलिए निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें कि विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 1152/445 रकबा 7 बिस्वा से प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा न ही विक्रय स्थानान्तरण करे। मय वाद के समर्थन मे शपथ पत्र व दस्तावेज पेश किए गए।

2. उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को नोटिस जारी किये गयें। प्रतिवादी 1 व 2 को जारी सम्मन लेने से इन्कार करने से प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्व दिनांक 19.01.2010 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सम्मन बाद तामिल होने के उपरान्त न्यायालय मे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आए एव अपना जवाब पेश करने समय चाहा। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत रखी गई।
3. यह कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा जवाब दिया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा न0 1152/445 रकबा 1 बीघा बिलानाम सरकारी भूमि होकर वादी व वादी के पिता के आधिपत्य व स्वामित्व व उपभोग में चली आना असत्य कथन होने से अस्वीकार है। उक्त आराजीयात के पश्चिम व पूर्व की तरफ वादी के खाते की जमीन होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है , जबकी खसरा न0 1152/445 पर वर्तमान में 2/3 भाग अर्थात 13 बिस्वा जमीन पर वादी का कब्जा था व बाकी शेष 7 बिस्वा की जमीन पर प्रतिवादी न0 3 का कब्जा है। खसरा न0 1152/445 रकबा 1 बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण का कब्जा नही होना अस्वीकार है। खसरा न0 1152/445 का प्रतिवादीगण के मध्य मौखीक बंटवारा होकर पश्चिम की तरफ जमीन रकबा 7 बिस्वा प्रतिवादी न0 3 के हिस्से में आयी है, जो बंटवारा पश्चात पूर्व की तरफ अपने हिस्से में आयी जमीन रकबा 13 बिस्वा प्रतिवादी न0 1 व 2 ने सयुक्त रुप से को बजरीये रजिस्ट्री बैचाननामा से दिनांक 08.09.2000 को रुपये 6,000/– अक्षारे छः हजार रुपये में वादी को विक्रय की गई है व उसी रोज उक्त आराजी जमीन के भाग का मौके पर प्रतिवादी न0 1 व 2 ने अपने कब्जे से कतई उठा लेकर वादी को मालिकाना हक व कब्जा दिया गया है। खसरा न0 1152 / 445 रकबा 1 बिघा पर वादी के करीब चालीस वर्ष पुराने सागवान, नीम, कंजडीया के पेड तथा 10 **X** 10 वर्ग फीट का गोबर डालने का अखुडा व भूमि के चारो और पुरानी थुवर की बाड लगी होना अस्वीकार है। उक्त कॉलम में बाकी लिखी तमाम ईबारत गलत तथ्य होने से अस्वीकार है। खसरा न0 1152 / 445 रकबा 1 बीघा पर वादी व वादी के पिता का कब्जा पुराना होना अस्वीकार है। दिनांक 19.

11.1997 से वादी उक्त जमीन के संबन्ध में टाईटल को चुनोती देने के सम्बनध मे कोई कानुनी कार्यवाही नही करने से एडर्वस पजेशन 12 वर्ष से उपर का होना अस्वीकार है। जिस कारण वादी रकबा 7 बिस्वा जमीन अपने नाम खाते में दर्ज कराने का अधिकारी नही है।वादी का खसरा न0 1152/445 रकबा सात बिस्वा पर दिनांक 10.06.2008 को प्रतिवादी न0 3 द्वारा बैदखल करने की बात करना अस्वीकार हैं सही हकीकत यह है कि वादी का इस जमीन पर कब्जा ही नही है तो बेदखल करने की बात ही पैदा नही होती है जिस कारण वाद कारण उत्पन्न नही होने से वादी का वाद काबिल निरस्ती है।

प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त जवाब उत्तर बतलाया कि खसरा न0 1152/445 रकबा एक बिघा जमीन प्रतिवादीगण की बपौती होने से पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण के कब्जे व स्वामित्व में आयी है तथा उक्त जमीन पर प्रतिवादीगण का अपने पिता के समय से करीब 30–40 वर्षो से पुराना कब्जा है । प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होने से उक्त खसरा न0 के पुर्व की तरफ जमीन प्रतिवादी न0 1 व 2 के हिस्से में व पश्चिम की तरफ की भूमि प्रमिवादी न0 3 के हिस्से में आयी है। प्रतिवादी न0 1 व 2 ने अपने हिस्से की कुल 13 बिस्वा को रुपया 6,000/–में वादी को विक्रय की है जिसकी रजिस्ट्री दि0 8.09. 2000 को सम्पादित की गई है।

4. प्रतिवादी 4 भूमिधारी हो वाद पत्र मे फार्मल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नही है।
5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।
    - आया प्रतिवादीगण के पिता को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1152/445 रकबा 1 बीघा भूमि वादी एवं वादी के पिता के अधिपत्य एवं उपयोग में चली आ रही है।
    - आया वादी अनाधिकृत आधिपत्य (एडवर्स पजेशन) एवं उपयोग के आधार पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1152/445 का रकबा 0.07 बीस्वा जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा है।
    - आया खसरा नम्बर 1152/445 पर वर्तमान में 2/3 भाग अर्थात 0.13 बिस्वा जमीन पर वादी का कब्जा व शेष 0.07 बिस्वा जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा है।
    - आया वादी द्वारा खसरा नम्बर 1152/445 रकबा 0.07 बिस्वा में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रतिवादी नम्बर 3 का परकोटा निर्माण में रूकावट व बाधा उत्पन्न करने से वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
6. उभय पक्षकारो के द्वारा जवाब पेश किए जाने पर विवाद्यको की विरचना की गई साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई वादी ने साक्ष्य के रूप मे स्वयं को परिक्षित करवाया जा दस्तावेज प्रर्दश करवाए और साक्ष्य वादी को समाप्त किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी आरम्भ की गई प्रतिवादी साक्ष्य के रूप मे प्रतिवादी संख्या 1 का शपथ पेश कर स्वयं परिक्षित करवाया जा दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए।
7. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। वाद पत्र पत्रावली मे वादी एव प्रतिवादीगण के द्वारा पेश प्रदर्शीत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय किया गया।
    - यह कि तनकी नम्बर 1 में आया प्रतिवादीगण के पिता को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1152/445 रकबा 1 बीघा भूमि वादी एवं वादी के पिता के अधिपत्य एवं उपयोग में चली आ रही है। वादीगण ने अपनी शहादत में कोई कब्जा या धारा 91 अन्तर्गत जारी नोटिस सबूत पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का काश्त कब्जा रहा हो। वादी विरेन्द्रसिंह पिता मानसिंह ने अपने बयान में दिनांक 30.09.22 में प्रतिवादी नम्बर 3 से 7 बिस्वा जमिन अदला बदली हेतु जिक्र किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी नम्बर 3 का है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी, विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

- यह कि तनकी नम्बर 2 में आया वादी अनाधिकृत आधिपत्य (एडवर्स पजेशन) एवं उपयोग के आधार पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1152/445 का रकबा 0.07 बीस्वा जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा है। आवंटि को वक्त आवंटन आवंटी से कब्जा सुपुर्दगी ली जाती है, तत्पश्चात आवंटन का नामान्तरण खोला जाकर आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया जाता है,चूँकि आवंटन निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वादी द्वारा कोई वाद दर्ज नही किया गया है एवं वादी द्वारा अपने पक्ष मे कब्जा सुपुर्दगी संबंधि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी, विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।
- यह कि तनकी नम्बर 3 में आया खसरा नम्बर 1152/445 पर वर्तमान में 2/3 भाग अर्थात 0.13 बिस्वा जमीन पर वादी का कब्जा व शेष 0.07 बिस्वा जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा है। वादी द्वारा अपनी शहादत में संवत् 2055–58 के जमाबन्दी नकल D2, सवत् 2063–66 जमाबन्दी की नकल प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी नकल प्रदर्श D3, प्रतिवादी 1 एवं 2 के द्वारा उसके हिस्से की गई बेचान रजिस्ट्री जो वादी मानसिंह के नाम से हुई है कि प्रमाणित नकल प्रदर्श D1 है जिसकी असल प्रदर्श 6 है। स्पष्टतया प्रस्तुत प्रदर्श में प्रतिवादी ने उक्त तनकी अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये अतः उक्त तनकी बहक प्रतिवादी, विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।
- यह कि तनकी नम्बर 4 में आया वादी द्वारा खसरा नम्बर 1152/445 रकबा 0.07 बिस्वा में अनाधिकृत प्रवेश कर प्रतिवादी नम्बर 3 का परकोटा निर्माण में रूकावट व बाधा उत्पन्न करने से वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तनकी संख्या 3 के शहादत में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1152/445 रकबा 0.07 बिस्वा राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी के नाम दर्ज है जिस पर वादी का कोई कब्जा साबित नही होता है अतः वादी परकोटा निर्माण में रूकावट या बाधा उत्पन्न करने का अधिकारी नही है अतः तनकी प्रतिवादी संख्या 3 के बहक में, विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 4 बहक प्रतिवादी, विरूद्व वादी निर्णित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम हो दाखित दफ्तर हो।

यह कि उक्त निर्णय आज दिनाक 30.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। डिगरी पर्चा पृथक से मुर्तिब होवे।

(पुखराज कांसोटिया)
उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट